न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 190 दायर दिनांक : 04.09.2017

मनफूल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादी

बनाम

1. देवीलाल
2. पृथ्वीराज

} पुत्रगण दुलाराम जाति जाट निवासी चक 3 पी.पी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक

— प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92—ए, 188 व 209 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादी
2. श्री कालूराम खिचड़, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 04.12.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92—ए, 188 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाना पूराराम पुत्र चोखाराम के नाम से रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 181 में 60.01 बीघा, खसरा नं. 186 में 0.11 बीघा, खसरा नं. 187 में 21.12 बीघा, खसरा नं. 208 में 34.14 बीघा, खसरा नं. 209 में 4.08 बीघा, कुल 121.17 बीघा रकबा में 1213 हिस्सा यानि 60.13 बीघा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसका विक्रय—पत्र अपनी पुत्रियों उदीदेवी व मीरादेवी के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवा दिया जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 1—2 की माता उदीदेवी को तत्कालीन सहायक उपनिवेशन द्वारा चक 3 पी.पी.एम. के पत्थर नं. 29/20 के किला नं. 5—6 = 2.00 बीघा, पत्थर नं. 29/28 के किला नं. 1, 10 = 2.00 बीघा, पत्थर नं. 86/393 के किला नं. 16, 17, 24, 25 = 4.00 बीघा, पत्थर नं. 86/394 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 = 6.00 बीघा, व पत्थर नं. 85/393 के किला

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

नं. 20 ता 22 = 3.00 बीघा एवं चक 4 पी.पी.एम. के पत्थर नं. 30/54 के किला नं. 10, 11, 19, 20, 22 = 5.00 बीघा तथा चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 110/394 के किला नं. 17, 18, 22 ता 24, 25/0.17 बीघा = 5.17 बीघा व पत्थर नं. 110/395 के किला नं. 8, 13, 14 = 3.00 बीघा, इस प्रकार उक्त तीनों चकों में कुल 30.17 बीघा भूमि तबादले में दी गई जिसमें से चक 4 पी.पी. एम. के पत्थर नं. 30/54 के किला नं. 10, 11, 19, 20, 22 = 5.00 बीघा व 25 की 0.17 बीघा, कुल 5.17 बीघा एवं चक 3 पी.पी.एम. के पत्थर नं. 86/394 के किला नं. 5 ता 7, 14, 15 = 5.00 बीघा, इस प्रकार कुल 10.17 बीघा का कब्जा नहीं मिलने पर पूर्व आदेश में संशोधन के पश्चात् उक्त 10.17 बीघा के स्थान पर चक 3 के.एल.एम. तहसील रावतसर के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा भूमि का तबादला दिया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1–2 की माता उदीदेवी ने अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत दिनांक 18.10.1993 उक्त भूमि में से चक 3 पी.पी.एम. के पत्थर नं. 85/393 के किला नं. 20 ता 22 = 0.759 है0, पत्थर नं. 86/393 के किला नं. 16, 17, 24, 25 = 1.012 है0, पत्थर नं. 86/394 के किला नं. 4 = 0.253 है0, पत्थर नं. 29/20 के किला नं. 5–6 = 0.506 है0, कुल 2.530 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 2 पृथ्वीराज के पक्ष में एवं चक 10 एस.डी. के पत्थर नं. 110/394 के किला नं. 17, 18, 22 ता 24 = 5.00 बीघा, पत्थर नं. 110/395 के किला नं. 7, 8, 13, 14 = 4.00 बीघा व चक 3 पी.पी. एम. के पत्थर नं. 29/28 के किला नं. 1, 10 = 2.00 बीघा, इस प्रकार कुल 11.00 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 देवीलाल के पक्ष में तथा चक 3 के.एल.एम. तहसील रावतसर के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा भूमि वादी मनफूल के पक्ष वसीयतनामा तहरीर करवाकर कार्यालय उप–पंजीयक सूरतगढ़ में तस्दीक करवा दिया। उदीदेवी की मृत्यु दिनांक 22.09.2011 को होने से वसीयत प्रभावशील हुई। तबादले में दी गई उक्त चक 3 के.एल.एम. तहसील रावतसर के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा भूमि का कब्जा भी उदीदेवी को प्राप्त नहीं होने पर रोही किशनपुरा की पुरानी भूमि में 2.613 है0 बारानी भूमि दे दी गयी, जिस पर मुताबिक वसीयत वादी मौका पर काबिज काश्त है। रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 181 में 12.805 है0, खसरा नं. 187 में 4.563 है0, खसरा नं. 208 में 7.331 है0, खसरा नं. 209 में 0.930 है0, कुल

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 3 पर

25.629 है0 भूमि में से 2.613 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1–2 की माता उदीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नामान्तरकरण वसीयत अनुसार दर्ज हो चुके हैं, किन्तु वादी को प्राप्त होने योग्य चक 3 के.एल.एम. तहसील रावतसर के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा भूमि का कब्जा नहीं मिलने से उसके नाम अंकित नहीं हुआ। इस भूमि के स्थान पर रोही किशनपुरा में 2.613 है0 बारानी भूमि आज भी उदीदेवी के नाम दर्ज है व कब्जा काश्त वादी का है, इसलिए वादी ने रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 181 में 12.805 है0, खसरा नं. 187 में 4.563 है0, खसरा नं. 208 में 7.331 है0, खसरा नं. 209 में 0.930 है0, कुल 25.629 है0 भूमि में से उदीदेवी के नाम अंकित 2.613 है0 बारानी भूमि का मुताबिक वसीयत दिनांक 18.10.1993 वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने व वादी के हिस्से में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित आये व वाद में जवाब इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं. 3 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा पेश कर राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

जवाब आने के पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया जैरवाद रकबा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाना पूराराम पुत्र चोखाराम का था जिसे बैयनामा के साथ वादी की माता के नाम बैयनामा करवा दिया था ? (वादी)
2. आया वाद की मद संख्या 2 में दर्ज रकबा घग्घर डोब में आने पर वादी की माता द्वारा चक 3 पी.पी.एम. व चक 4 पी.पी.एम. व चक 10 एस.डी. में लिया गया जिसमें चक 4 पी.पी.एम. एवं 3 पी.पी.एम. का कुछ रकबा नहीं मिलने पर श्रीमान् भू–अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना सूरतगढ़ द्वारा चक 3 के.एल.एम. के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा रकबा वादी की माता उदीदेवी को दिया गया ? (वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 4 पर

3. आया जैरवाद रकबा में से चक 3 पी.पी.एम. की 2.530 है0 भूमि की प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में व चक 10 एस.डी. व चक 3 पी.पी.एम. की कुल 11.00 बीघा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में व चक 3 के.एल.एम. की 10.00 बीघा भूमि वादी के पक्ष में वादी की माता उदीदेवी द्वारा दिनांक 18.10.1993 के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत करवाई थी ?(वादी/प्रतिवादीगण)

4. आया जैरवाद रकबा चक 3 के.एल.एम. का रकबा अन्य के आवंटन होने पर वादी की माता उदीदेवी को पुनः किशनपुरा के खसरा नं. 181, 187, 208, 209 की 25.629 है0 में से 2.613 है0 रकबा पुनः प्राप्त हुआ था उसी रकबा का वादी रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18.10.1993 के आधार पर खातेदारी कृषक घोषित किया गया ? (वादी)

5. अनुतोष।

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् पक्षकारान से साक्ष्य लिये गये। वादी ने स्वयं के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

साक्ष्य प्राप्ति पश्चात् पत्रावली में पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि आज भी उदीदेवी के नाम 2.613 है0 भूमि रोही किशनपुरा में दर्ज है जिसका वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने इकबालदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी पूर्णतया सिद्ध मानकर स्वीकार करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व तर्कों के परिपेक्ष्य में गहन पठन एवं मनन करने पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से पाया गया :–

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 5 पर

तनकी नं. 1 – आया जैरवाद रकबा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाना पूराराम पुत्र चोखाराम का था जिसे बैयनामा के साथ वादी की माता के नाम बैयनामा करवा दिया था ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए असल प्रति विक्रय–पत्र बहक उदीदेवी कतई प्रस्तुत नहीं की गयी। भूमि उदीदेवी के नाम किस प्रकार अंकित हुई, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। यद्यपि तबादला उदीदेवी को दिया जाना पत्रावली में अवाप्ति की नकल से सिद्ध होता है। असल विक्रय–पत्र प्रस्तुति के अभाव में तनकी नं. 1 सन्देह से परे सिद्ध नहीं मानी जा सकती, इसलिए इसे विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वाद की मद संख्या 2 में दर्ज रकबा घग्घर डोब में आने पर वादी की माता द्वारा चक 3 पी.पी.एम. व चक 4 पी.पी.एम. व चक 10 एस. डी. में लिया गया जिसमें चक 4 पी.पी.एम. एवं 3 पी.पी.एम. का कुछ रकबा नहीं मिलने पर श्रीमान् भू–अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना सूरतगढ़ द्वारा चक 3 के.एल.एम. के पत्थर नं. 128/402 की 10.00 बीघा रकबा वादी की माता उदीदेवी को दिया गया ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के हेतु अवाप्ति पत्रावली की सत्य प्रति प्रस्तुत की है जो कि एक दस्तावेजी रिकॉर्ड है। इसका प्रत्युत्तर प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया। तनकी नं. 2 सन्देह से परे सिद्ध होती है, इसलिए तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया जैरवाद रकबा में से चक 3 पी.पी.एम. की 2.530 है0 भूमि की प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में व चक 10 एस.डी. व चक 3 पी.पी.एम. की कुल 11.00 बीघा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में व चक 3 के.एल.एम. की 10.00 बीघा भूमि वादी के पक्ष में वादी की माता उदीदेवी द्वारा दिनांक 18.10.1993 के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत करवाई थी ?

(वादी/प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 6 पर

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/प्रतिवादीगण पर था। वादी/प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, वादी द्वारा वसीयत की मात्र चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है वह भी प्रमाणित नहीं है। इस अवस्था में वसीयत बहक वादी/प्रतिवादीगण कतई सन्देह से परे सिद्ध नहीं होती, इसलिए तनकी नं. 3 विरुद्ध वादी/प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया जैरवाद रकबा चक 3 के.एल.एम. का रकबा अन्य के आवंटन होने पर वादी की माता उदीदेवी को पुनः किशनपुरा के खसरा नं. 181, 187, 208, 209 की 25.629 है0 में से 2.613 है0 रकबा पुनः प्राप्त हुआ था उसी एकबा का वादी रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18.10.1993 के आधार पर खातेदारी कृषक घोषित किया गया ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने हेतु आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, मात्र चक 3 के.एल.एम. की 10 बीघा भूमि चन्दूराम के नाम अंकित होने से स्वयंमेव रोही किशनपुरा की 10 बीघा भूमि उदीदेवी को प्राप्त होने योग्य नहीं मानी जा सकती। यद्यपि रोही किशनपुरा में 2.613 है0 भूमि उदीदेवी के नाम दर्ज है, किन्तु यह भूमि चक 3 के.एल.एम. तहसील रावतसर की भूमि के बदले प्राप्त हुई, सिद्ध नहीं होती, इसलिए तनकी नं. 4 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1, 3 व 4 विरुद्ध वादी निर्णित होने से वाद वादी सिद्ध नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

मनफूल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. **देवीलाल** } **पुत्रगण दुलाराम जाति जाट निवासी चक 3 पी.पी.एम.**
2. **पृथ्वीराज** } **तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक**

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 91, 92–ए, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 190 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2 श्री कालूराम खिचड़ एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07/12/2020 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 16:33:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: